

दिनांक:—16.10.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप वकील प्रार्थी ने मूल वाद खारिज करवा लिया है। अतः मूल वाद खारिज होने के कारण दिनांक 17.04.2017 को जारी एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

